सूचना का अधिकार 3. इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, सभी नागरिकों को सूचना का अधिकार होगा।

लोक प्राधिकारियों की बाध्यताएं 4. (1) प्रत्येक लोक प्राधिकारी –

(क) अपने सभी अभिलेखों को सम्यक् रूप से सूचीपत्रित और अनुक्रमणिकाबद्ध ऐसी रीति और रूप में रखेगा, जो इस अधिनियम के अधीन सूचना के अधिकार को सुलभ बनाता है और सुनिश्चित करेगा कि ऐसे सभी अभिलेख, जो कम्प्यूटरीकृत किए जाने के लिए समुचित है, युक्तियुक्त समय के भीतर और संसाधनों की उपलभ्यता के अधीन रहते हुए, कम्प्यूटरीकृत और विभिन्न प्रणालियों पर संपूर्ण देश के नेटवर्क के माध्यम से संबद्ध हैं जिससे कि ऐसे अभिलेख तक पहुंच को सुलभ बनाया जा सके;

(ख) इस अधिनियम के अधिनियमन से एक सौ बीस दिन के भीतर –

(i) अपने संगठन की विशिष्टयां, कृत्य और कर्तव्य;

(ii) अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां और कर्तव्य ;

(iii) विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित हैं ;

(iv) अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए स्वयं द्वारा स्थापित मापमान ;

(v) अपने द्वारा या अपने नियंत्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कश्त्यों के निर्वहन के लिए प्रयोग किए गए नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख ;

(vi) ऐसे दस्तावेजों के, जो उसके द्वारा धारित या उसके नियंत्रणाधीन हैं, प्रवर्गों का विवरण ;

(vii) किसी व्यवस्था की विशिष्टियां, जो उसकी नीति की संरचना या उसके कार्यान्वयन के संबंध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिए या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिए विद्यमान हैं ;

(viii) ऐस बाडा, पारषदों, समितियों और अन्य निकायों के, जिनमें दो या अधिक व्यक्ति हैं, जिनका उसके भागरूप में या इस बारे में सलाह देने के प्रयोजन के लिए गठन किया गया है और इस बारे में कि क्या उन बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिए खुली होंगी या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त तक जनता की पहुंच होगी, का विवरण ;

(ix) अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका;

(x) अपने प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक जिसके अंतर्गत प्रतिकर की प्रणाली भी है जो उसके विनियमों में यथा उपबंधित हो ;

(xi) सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्ययों और किए गए संवितरणों पर रिपोर्टों की विशिष्टयां उपदर्शित करते हुए अपने प्रत्येक अभिकरण को आबंटित बजट ;

(xii) सहायिकी कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति जिसमें आबंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के फायदाग्राहियों के ब्यौरे सम्मिलित हैं ;

(xiii) अपने द्वारा अनुदत्त रियायतों, अनुज्ञापत्रों या प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं की विशिष्टयां ;

(xiv) किसी इलैक्ट्रानिक रूप से सूचना के संबंध में ब्यौरे, जो उसको उपलब्ध हों या उसके द्वारा धारित हों ;

(xv) सूचना अभिप्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टयां, जिनमें किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष के यदि लोक उपयोग के लिए अनुरक्षित हैं तो, कार्यकरण घंटे सम्मिलित हैं ;

(xvi) लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विशिष्टियां ;

(xvii) ऐसी अन्य सूचना, जो विहित की जाए,

प्रकाशित करेगा और तत्पश्चात् इन प्रकाशनों

को प्रत्येक वर्ष में अद्यतन करेगा ;

(ग) महत्त्वपूर्ण नीतियों की विरचना करते समय या ऐसे विनिश्चयों की घोषणा करते समय, जो जनता को प्रभावित करते हों, सभी सुसंगत तथ्यों को प्रकाशित करेगा ;

(घ) प्रभावित व्यक्तियों को अपने प्रशासनिक या न्यायिककल्प विनिश्चयों के लिए कारण उपलब्ध कराएगा ;

(2) प्रत्येक लोक प्राधिकारी का निरंतर यह प्रयास होगा कि वह उपधारा(1) के खंड (ख) की अपेक्षाओं के अनुसार, स्वप्रेरणा से जनता को नियमित अंतरालों पर संसूचना के विभिन्न साधनों के माध्यम से, जिनके अंतर्गत इंटरनेट भी है, इतनी अधिक सूचना उपलब्ध कराने के लिए उपाय करे जिससे कि जनता को सूचना प्राप्त करने के लिए इस अधिनियम का कम से कम अवलंब लेना पड़े।

(3) उपधारा(1) के प्रयोजन के लिए, प्रत्येक सूचना को विस्तृत रूप से और ऐसे प्रारूप और रीति में प्रसारित किया जाएगा, जो जनता के लिए सहज रूप से पहुंच योग्य हो।

स्पष्टीकरण – उपधारा(3) और उपधारा(4) के प्रयोजनों के लिए 'प्रसारित' से सूचना पट्टों, समाचारपत्रों, लोक उद्घोषणाओं, मीडिया प्रसारणों, इंटरनेट या किसी अन्य माध्यम से, जिसमें किसी लोक प्राधिकारी के कार्यालयों का निरीक्षण सम्मिलित है, जनता को सूचना की जानकारी देना या संसूचित करना अभिप्रेत है।

व्याख्याः इस धारा का मुख्य उद्देश्य नागरिकों को सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल एवं त्वरित बनाने के लिए प्रावधान करना है। इसके अंतर्गत अधिनियम प्रभावशील होने के 120 दिन के अंदर लोक प्राधिकारियों से अपेक्षा की गई है कि वे अपने एवं अधीनस्थ संगठनों के अभिलेखों को सूचीबद्ध एवं वर्गीकृत कर तैयार करेंगे। यह भी अपेक्षा की गई है कि निर्धारित समय–सीमा के भीतर अभिलेखों को कम्प्यूटरीकृत कर अद्यतन किया जावे तथा उसे इंटरनेट पर रखा जावे, जिससे जनसाधारण की पहुँच अभिलेखों तक हो सके। इसके अनुसार लोक प्राधिकारियों को स्वयं अपनी ओर से ऐसी जानकारी जन–साधारण तक पहुँचाना सुनिश्चित करना है, जो कि किसी विभाग के संचालन के लिए आवश्यक हो। इसके अनुसार संबधित लोक प्राधिकारी अपने संगठन के स्वरूप, संगठन के कर्मियों, कृत्यों, कर्तव्यों, शक्तियों, दायित्वों तथा प्रशासन नियंत्रण एवं निर्णय आदि लेने की प्रक्रिया को एक ही स्थान पर संकलित कर प्रसारित करेंगे। इसके अंतर्गत 17 विषयों से संबंधित जानकारी प्रकाशित की जाना है। यह समस्त जानकारी मैन्युअल के रूप में राज्य सरकार की वेबसाइट अथवा विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध होना चाहिए। साथ ही पुस्तिका के रूप में कार्यालय में ही उपलब्ध रखी जा सकती है।

2/ विभाग के द्वारा जारी की गई नीतियाँ एवं संचालित योजनाओं का विवरण आदि की जानकारी भी होना चाहिये। ऐसी संस्थायें/संगठन जो कि कार्य स्वीकृत एवं क्रियान्वित करती है, उनके द्वारा स्वीकश्त कार्यों का विवरण, स्वीकृत की गई राशि, कार्य का विवरण, कार्य पूर्ण होने की तिथि, कार्य की लागत, कार्य किसके माध्यम से कराया जा रहा है आदि की जानकारी उपलब्ध होना चाहिये। इस धारा का मुख्य उद्देश्य यह है कि ऐसी प्राथमिक सूचनाएं जिनके लिए जनसामान्य को आवेदन पत्र देने की जरूरत न हो, वह उन्हें सरलता से उपलब्ध हो सके।

3/ छत्तीसगढ़ एवं मध्यप्रदेश में विभागों के द्वारा एन.आई.सी. के माध्यम से अथवा विभागीय वेबसाइट पर यह जानकारी उपलब्ध कराई गई है।

Designation of Public Information Officers.

5 (1) Every public authority shall, within one hundred days of the enactment of this Act, designate as many officers as the Central Public Information Officers or State Public Information Officers, as the case may be, in all administrative units or offices under it as may be necessary to provide information to persons requesting for the information under this Act.

(2) Without prejudice to the provisions of sub-section (1), every public authority shall designate an officer, within one hundred days of the enactment of this Act, at each sub-divisional level or other sub-district